

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

डॉ. आनन्द श्रीवास्त, राधिका हॉस्पिटल, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
- अपीलार्थी

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
2. लोक सूचना अधिकारी मेवाड़ क्लब अध्यक्ष राजसमन्द

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 95 / 2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 24.11.2025</p> <p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी मेवाड़ क्लब अध्यक्ष राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी मेवाड़ क्लब अध्यक्ष राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :- सू0अ0/2025/54 दिनांक 17.10.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर सचिव द मेवाड़ क्लब राजसमन्द से संबंधित होना प्रतीत होने के कारण मूल ही प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत अन्तरण कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना/प्रतिलिपियां समयावधि में आवेदक को उपलब्ध कराने एवं जिला कलक्टर महोदय एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराये जाने हेतु जरिये पत्रांक 45 दिनांक 01.09.2025 से सचिव, द मेवाड़ क्लब राजसमन्द को पत्र लिखा गया है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी मेवाड़ क्लब अध्यक्ष राजसमन्द की ओर अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत द्वारा दिनांक 03.11.2025 वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तथा दिनांक 10.11.2025 को जवाब मय फहरिस्त दस्तावेज पेश किये। जो शामिल मिसल है तथा उभय पक्षकारान द्वारा बहस की गई।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील तथा लोक सूचना अधिकारी मेवाड़ क्लब अध्यक्ष राजसमन्द के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा फहरिस्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया और बहस पर गहन मनन किया गया। यह अपील अपीलान्ट डॉ आनन्द श्रीवास्तव राधिका हॉस्पिटल, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द के अधिवक्ता द्वारा मेवाड़ क्लब अध्यक्ष/सचिव के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द व मेवाड़ क्लब अध्यक्ष/सचिव को सात बिन्दुओ की सूचना चाहे जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। वह सभी सूचनाएं मेवाड़ क्लब से संबंधित होने के कारण</p>	



[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा प्रार्थना पत्र सविच द, मेवाड़ क्लब को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत अन्तरण कर दिया गया था तथा सविच द, मेवाड़ क्लब राजसमन्द को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत करवाई करने के निर्देश भी प्रदान किये गये थे। मेवाड़ क्लब द्वारा प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से यह अपील अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पेश की गयी है।

सर्वप्रथम हमें यहां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो का अध्ययन किया जाना उचित लगता है। क्योंकि यह अपील एक ऐसी संस्था के संबंध में प्रस्तुत की गई है। जो कि एक अराजकीय संस्था है। अर्थात् एक NGO (गैर सरकारी संगठन) है। जिसने राजस्थान संस्था अधिनियम के तहत मेवाड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसायटी द मेवाड़ क्लब राजसमन्द जिला राजसमन्द के रूप में पंजीकरण कराया हुआ है। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि इस तरह से संस्थाएं जो कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत की जाती है। क्या इन संस्थाओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागु होता है ? यदि लागु होता है तो किस प्रकार से लागु होता है ? इस मूलभूत प्रश्न को समझने तथा उसका विवेचन करने के लिए हमारे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 में विभिन्न शर्तों (TERMS) को परिभाषित किया गया है। जिसकी धारा 2 की उपधारा (ज) में यह बताया गया है कि लोक प्राधिकारी (PUBLIC AUTHORITY) किसे कहा गया है ? जब कोई गैर सरकारी संस्था राज्य सरकार या किसी भी सरकार से वित्त पोषित (SUBSTANTIOALLY FINANCED) होता है। तो वह लोक प्राधिकारी (PUBLIC AUTHORITY) की श्रेणी में अधिनियम के अनुसार आता है और जो लोक प्राधिकारी (PUBLIC AUTHORITY) की श्रेणी में आता है तो उसके क्या दायित्व होते है। यह अधिनियम की धारा 4 में बताया गया है। तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 में यह दायित्व बताया गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी(PUBLIC AUTHORITY) अपना एक लोक सूचना अधिकारी को विहित करेगी तथा उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो का उसके द्वारा प्रदत्त कर्तव्यो का पालन किया जायेगा और सूचना आम आदमी को नियमानुसार उपलब्ध करायेगी। तो यहां पर इस बात कोई भी सबूत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मेवाड़ क्लब का राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से कोई वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर रियायती दरो पर अथवा निःशुल्क भूमि का आवंटन भी किया जाता रहा है परन्तु रियायती दर पर भूमि का आवंटन दिये जाने से या निःशुल्क भूमि का आवंटन कर दिये जाने से वह अराजकीय संस्था, राजकीय संस्था नहीं हो जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से वित्त पोषित नहीं किया जाता है। तो वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार लोक प्राधिकारी (PUBLIC AUTHORITY) की श्रेणी में परिभाषित नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोक प्राधिकारी(PUBLIC AUTHORITY) के द्वारा लोक सूचना अधिकारी भी नियुक्त नहीं किया जाता है। प्रस्तुत अपील में इस प्रकार से मेवाड़ क्लब राजसमन्द को राज्य सरकार द्वारा लोक प्राधिकारी (PUBLIC AUTHORITY) मानते हुए और कोई लोक सूचना अधिकारी विहित किया गया हो या इस प्रकार की कोई अधिसूचना जारी की



Prashant

गयी हो। ऐसा कोई भी दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में नहीं किया गया। इस पर हमने दोनो पक्षो की बहस पर भी पूर्ण विवेचन व मनन किया। जिसमें कि मेवाड़ क्लब के अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह साबित किया कि उनकी संस्था मेवाड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसायटी दा मेवाड़ क्लब राजसमन्द जिला राजसमन्द, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था मात्र है। जहां तक खेल से संबंधित संस्थाओं के लोक प्राधिकारी (PUBLIC AUTHORITY) होने के संबंध में उन्होंने भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.04.2010 भी प्रस्तुत किया। जिसमें यह लिखा गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ फेडरेशन जिनको की 10 लाख रुपये या उससे अधिक अनुदान (GRANT) मिलती है। वो लोक प्राधिकारी (PUBLIC AUTHORITY) माने जाएंगे तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(ज) के तहत जो भी दायित्व है। वो उन पर भी लागु होंगे। मेवाड़ क्लब को इस तरह की कोई भी अनुदान (GRANT) नियमित रूप से या अनावृत्ति रूप से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं होती। साथ ही सहकारिता विभाग द्वारा लोक सूचना प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी लगाये गये है उनमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि वह जिले के समस्त कार्यालयों की सूचना देने के लिए अधिकृत होते है। इसमें यह कहीं भी अंकन नहीं किया गया है कि जिले की समस्त पंजीकृत संस्थाओ के लिए भी उनको लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया हो। ऐसा इससे साबित नहीं होता है तथा साथ ही इसमें जो जिले में स्थित सहायक उप पंजीयक को जो लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह केवल कार्यालय की सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सहकारिता विभाग के अधीनस्थ नियंत्रणाधीन कार्यालयो एवं संस्थाओ में लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी निम्न अनुसार पदाभिहित किये जाते है। तो इस संस्था को क्या सहकारिता विभाग के अधीनस्थ एक संस्था माना जा सकता है। यहां पर यह प्रश्न विचारणीय है क्योंकि एक विभाग द्वारा किसी अधिनियम के तहत एक पंजीकरण मात्र कर देने से क्या वह संस्था उसके अधीनस्थ हो जाती है। इसका विवेचन सहकारिता विभाग द्वारा ही इसमें किया जा सकता है। यहां पर प्रार्थी द्वारा यदि यह माना जाता है कि संस्था अधिनियम के तहत जो पंजीकृत संस्थाएं है वह भी सहायक पंजीयक के अधीन है। तो उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र सहायक पंजीयक अथवा उप पंजीयक विभाग को लगाना चाहिए था जिसका अपीलान्ट अधिकारी संयुक्त पंजीयक है। प्रार्थी द्वारा यह अपील सीधा ही मेवाड़ क्लब के विरुद्ध की गयी है, जिसका की कोई लोक सूचना अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ क्लब पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान को लागु नहीं माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर को भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस प्रकरण में अपीलिय अधिकारी नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विधिक विवेचन के फलस्वरूप मैं, यहां इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक पंजीकृत एक संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा मेवाड़ क्लब के लिए कोई लोक सूचना प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है अतः हम मेवाड़ क्लब के अध्यक्ष/सचिव को लोक सूचना अधिकारी नहीं मान सकते है तथा उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम




Prabh

2005 के तहत सूचना देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि अपीलान्त का यह मानना है कि सहकारी विभाग द्वारा पंजीकृत सभी संस्थाएं भी लोक सूचना प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं तो वह सहकारिता विभाग के लोक प्राधिकारी के पास आवेदन अथवा अपील करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।


लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

